संख्या-1/2025/168/27-11-2024-27-11099/29/2023

प्रेषक,

अनीता वर्मा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रशासक,
ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास
प्राधिकारी/परियोजना,23-सी गोखले मार्ग
लखनऊ।

सिंचाई एंव जल संसाधन अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्षक 4705 के मानक मद 14-मोटर गाडियों के क्रय में वितीय स्वीकृति जारी किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना, लखनऊ के पत्रांक-481/कार्मिक-एक/स्टोर-15752/2024-25, दिनांक 09-10-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना, लखनऊ के शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ 01 अदद महेन्द्रा बोलेरो एवं 03 अदद मारूति सुजुकी सियाज क्रय किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के पूंजी लेखा के अन्तर्गत 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-800 अन्य व्यय-03 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्रावधानित बजट के सापेक्ष धनराशि रू0 37.50(रू0 सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों:-</u>

(1) क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहन की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।

(3) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व ग्रेटर शारदा सहायक समादेश का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-57/18-22024-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 26-11-2024 में निहित व्यवस्था तथा सुसंगत वित्तीय नियमों व शासनादेशों के आलोक में जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उल्लिखित निष्प्रयोज्य वाहन के सापेक्ष पूर्व में प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय नहीं किया गया है अर्थात क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(8) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वितीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) समादेश द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन आधार पर वाहन का क्रय किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/वी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 37,50,000 (रुपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 012 लेखा शीर्षक 4705008000300 ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना मानक मद-14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-514-X-2024-25 दिनांक-19 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Anita Verma (अनीता वर्मा सिंह)
Date: 25-03-2025 11:31
विशेष सचिव

संख्या-1/2025/168(1)/27-11-2024-27-11099/29/2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उप सचिव, जल शक्ति मंत्रालय (कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन विंग), भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(4) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(5) विशेष सचिव/बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) अनु सचिव(लेखा/नोडल) अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/8, उ0प्र0 शासन।

(9) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

(10)नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(11)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Shilla Prasad
Date: 25-03-2025 14:05:52

(शीला प्रसाद)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।